मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 2003 (फाल्गुन 16, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री वीर सिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा-33 की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र.इक्कीस-ग्रा.न्या.-43-नियम-01, दिनांक 6 फरवरी, 2003 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2001-2002, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा कस्बे के समीप एक पत्रकार की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, डबरा क्षेत्र स्थित हरसी बांध से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम ढोलगांव में घटिया कपास बीज का वितरण किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री देवसिंह सैयाम, सदस्य, मंडला जिले में तेंदूपत्ता तुड़ाई में लगे मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के चाखला गांव में एक आदिवासी महिला को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, दमोह जिले के नरसिंहगढ़ एवं इमलाई गांव में स्थित सीमेंट फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा थ्री फेस कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम पछाया में एक अनुसूचित जाति के परिवार के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, हरदा शहर में एक पैट्रोल पंप पर लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर से खनियाधाना सड़क कृषि भूमि में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, सीहोर स्थित कृषि महाविद्यालय में श्रमिक ठेका प्रथा समाप्त न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री मुंशीलाल, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम भारोलीकला एवं चन्दन का पुरा में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, देवास जिले के ग्राम चिलखी से एक महिला का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री मुंशीलाल, हिम्मत कोठारी, रसाल सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम उकावदकला में तीन लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(15) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, हिम्मत कोठारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के पचोर कस्बे से एक बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री गनेश खटीक, हिम्मत कोठारी, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, मुरैना जिले के बिस्मिल नगर में ओला गिरने से अनेक गायों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री पशुपालन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, सागर जिले के ग्राम मोरिया निरंदपुर में राजस्व अधिकारियों द्वारा वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, अनूप मिश्रा, सदस्य, झाबुआ और सागर जिले में खसरे का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री मुंशीलाल, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम माचीघाट में दलित व्यक्तियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री मुंशीलाल, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम लक्ष्मणपुरा में मजदूरों के बंधककर्ताओं पर कानूनी कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. उप मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का वक्तव्य

श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश की नई महिला नीति पर वक्तव्य देंगी.

5. वर्ष 2003-2004 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
30 मि.	(1)	मांग संख्या - 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा.
30 मि.	(3)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या - 62	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
		मांग संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.
30 मि.	(4)	मांग संख्या - 11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि उज्जैन में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जावे".

(2) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भवनविहीन विद्यालयों के लिये शाला भवन शीघ्र बनाये जावें".

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि शहडोल से व्हाया सीधी होकर इलाहाबाद तक नई रेल लाईन बिछायी जावे".

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 मार्च, 2003